राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 85 /2019 दिनांक :12.09.2019

श्रीमती कीर्ति सिंहमार (RJ0724), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को दिनांक 16.09.2019 से 26.09.2019 तक **11** दिनों का संतान परवरिश अवकाश **(Child Care Leave)** दिनांक 14.09.2019 से 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को श्रीमती कीर्ति सिंहमार के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) ऐसे प्रकरणों, *जिनमें* अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।

(2) श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), *जिनको* वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

12-9-19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/07/2013/ 8667 दिनांक 12.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 3849 दिनांक 31.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती कीर्ति सिंहमार (RJ0724)**, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
5. **श्री मुकुल गहलोत (RJ0948),** सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

12/9/19

सहायक रजिस्ट्रार